

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं.वि.सं. 02/परीक्षा/RAS&RTS/RPSC/EP-I/2023-24

दिनांक : 28.06.2023

आयोग द्वारा कार्मिक (क-4/2) विभाग के लिए गैर टीएसपी क्षेत्र (सामान्य) हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के कुल 905 (राज्य सेवाएं-424 एवं अधीनस्थ सेवाएं-481) पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की सेवावार संख्या व वेतन मान निम्नानुसार है :-

राज्य सेवाएं-424 पद

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	67	L-14	12	राजस्थान परिवहन सेवा	10	L-12
2	राजस्थान पुलिस सेवा	60	L-14	13	राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा	55	L-14
3	राजस्थान लेखा सेवा	130	L-14	14	राजस्थान देवस्थान सेवा	0	L-12
4	राजस्थान सहकारी सेवा	46	L-12	15	राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा	0	L-14
5	राजस्थान नियोजन सेवा	03	L-12	16	राजस्थान महिला विकास सेवा	0	L-14
6	राजस्थान कारागार सेवा	08	L-12	17	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा	13	L-12
7	राजस्थान उद्योग सेवा	11	L-12	18	राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा	03	L-12
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	14	L-14	19	राज.आबकारी (Preventive Force) सेवा	0	L-12
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	0	L-12	20	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा	03	L-12
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा	01	L-12	21	राजस्थान राज्य कृषि सेवा (विपणन अधिकारी)	0	L-14
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	0	L-12				

अधीनस्थ सेवाएं-481 पद

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)	क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (Pay Matrix)
1	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	01	L-10	12	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (TSP)	0	L-10
2	राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा	196	L-10	13	राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा	09	L-11
3	राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (TSP)	07	L-10	14	राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (TSP)	02	L-11
4	राजस्थान तहसीलदार सेवा	102	L-11	15	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)	10	L-11
5	राजस्थान तहसीलदार सेवा (TSP)	12	L-11	16	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (TSP)	01	L-11
6	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	0	L-10	17	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	0	L-11
7	राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा	03	L-10	18	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी)	0	L-12
8	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	11	L-11	19	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	13	L-10
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	33	L-10	20	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (TSP)	01	L-10
10	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (TSP)	04	L-10	21	राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer)	06	L-11
11	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	48	L-10	22	राजस्थान अधीनस्थ सेवा "राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग" (कनिष्ठ विपणन अधिकारी)	22	L-11

नोट:- पदों के सेवावार वर्गवार वर्गीकरण के संबंध परिशिष्ट-1 संलग्न है।

विशेष नोट :-

- टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी पात्र है। टी.एस.पी. क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टी.एस.पी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
- अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 19 एवं 22 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें अन्यथा DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
- अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्त पूर्ण करना चाहिए :-

अनुभव :- The Candidate must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the 1st day of January 2024.

नोट:-

- आवेदक को दिनांक 01.01.2024 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा, उसकी गणना कर दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें।
- In filling the vacancies so reserved, the candidates who are "non-gazetted employees" shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates.
- If a sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shall be filled by appointing other candidates in the list.

टिप्पणी :-

- अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कार्मिक, DC व NGE होते हैं। DC के रूप में आवेदन करने के साथ ही NGE वर्ग के लिये आवेदन करने पर ही NGE वर्ग का लाभ देय होगा अर्थात् इस प्रकार के आवेदक DC व NGE वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।
- NGE वर्ग में आवेदन करने पर NGE वर्ग के लिये निर्धारित आयु व अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है।
- DC व NGE वर्ग में आवेदन करने पर प्राप्तियों के आधार पर NGE कट-ऑफ में नहीं आने की स्थिति में NGE वर्ग के लिये आयु सीमा में दिये गये छूट के प्रावधान DC वर्ग के आवेदक पर लागू नहीं होंगे।
- DC वर्ग के रूप में संबंधित विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी पात्र माने जायेंगे। अन्य विभागों के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा, उन्हें केवल NGE वर्ग के पदों के विरुद्ध आवेदन करने पर उनकी पात्रता (लाभ देय होगा) पर विचार किया जायेगा।